न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,खुर्जा बुलन्दशहर।
वाद संख्या–546/2018
सरकार बनाम कलुआ आदि

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,खुर्जा बुलन्दशहर,एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण **कुलवा, मुन्ना, महेश एवं हनीफ** के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाता हूं:–

प्रथमः–यह कि दिनांक 29.07.2017 को समय अज्ञात स्थान ग्राम अरनियॉ मंसूपुर माजरा नंगला हरभजन थाना खुर्जानगर जिला बुलन्दशहर में आप लोगों ने वादी मुकदमा छोटे व जग्गू के साथ लाठी डंडो से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **323** भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः :– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा छोट व जग्गू को लाठी डंडो से मारपीट की , जिससे उनके हाथ व कमर की हडडी टूट गयी। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **325** भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा व जग्गू के साथ लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से गाली गलौंच की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **504** भा0द0संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा व जग्गू को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा–**506** भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांक : 30.05.2019

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिनसे उन्होने इंकार किया एवं विचारण की याचना की।

दिनांक : 30.05.2019

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।